कार्यालय

:: पुलिस उपायुक्त, जोन–2 नगरीय पुलिस भोपाल (म.प्र.) ::

(बागसेवनिया थाना के पीछे, होशंगाबाद रोड़ भोपाल पिन कोड–462026)

Email id - dcp.zone2.bhopal@mppolice.gov.in

क्रमांक–पु.उपा./भो/जोन–02/स्टेनो/ विविध– 492 / 2024 दिनांक 20 / 12 /2024

:: आदेश ::

(अंतर्गत धारा–163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023)

नव वर्ष के उपलक्ष्य में कई व्यावसायिक सस्थानों/होटलों/लॉजों/गार्डनों के द्वारा सामूहिक रूप से बड़े–बड़े कार्यक्रम व सामूहिक पार्टी/भोज इत्यादि आयोजित किये जाते हैं, जिसमें कई बार विभिन्न कारणों के चलते आपस में विवाद होने या फिर किसी अन्य अव्यवस्था से कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की संभावना होती है। इस प्रकार की सम्भावित कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो इस हेतु कुछ पूर्व ऐहतियाती उपाय किया जाना आवश्यक है। ऐसा किया जाना तब ही संभव होगा जब संबंधित पुलिस थाना को पूर्व जानकारी में यह हो कि उनके क्षेत्र में किन व्यावसायिक सस्थानों/होटलों/लॉजों/गार्डनों या परिसर में सामूहिक कार्यक्रम आयोजित होने वाला है।

अतः ऐसे संस्थान/होटल/सामूहिक संस्थान/ग्रुप द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। :–

1–दिनांक 31.12.24 के सायं 05:00 बजे से दिनांक 02.01.2025 के रात्रि 12:00 बजे तक नव वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में संबंधित थाने को सूचना व अनुमति के पश्चात ही कार्यक्रम का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

2–कार्यक्रम स्थल पर आयोजनकर्ता द्वारा अनुमानित व्यक्तियों की संख्यात्मक जानकारी संबधित थानों पर प्रदाय की जावेगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशों व समय–समय पर जारी मध्यप्रदेश शासन के परिपत्रों की गाईडलाईन का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।

3–किसी भी कार्यक्रम में किसी प्रकार के प्रतिबंधित मादक पदार्थो का प्रयोग नहीं किया जावेगा।

4–निगरानी एवं सुरक्षा हेतु अनिवार्य रूप से सीसीटीव्ही कैमरे लगवाये जावेंगे, जिसकी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।

5–स्वयं सेवकों/वॉलिंटियर को आयोजकों द्वारा नियुक्त किया जावेगा।

6–आयोजन स्थल पर वाहन पार्किंग की व्यवस्था एन्ट्री एक्जिट व पार्किंग के स्थान पर सी.सी.टी.व्ही कैमरों का लगाया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

7–यदि आयोजित कार्यक्रम में आबकारी विभाग के द्वारा कोई लायसेंस जारी किया गया है, तो नियमानुसार उनकी शर्तो का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।

6–इन कार्यक्रमों में धारदार एवं तीक्ष्ण हथियार प्रचलित कानून के अनुसार प्रतिबंधित रहेंगे।

7–जिन स्थलों पर आतिशबाजी एवं ज्वलनशील पदार्थो का उपयोग/प्रदर्शन किया जाता है वहां पर सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावेगा।

8–लायसेंसी हथियारों से ऐसे स्थानों पर हर्ष फायर प्रतिबंधित रहेगा।

9–खुले में यदि आयोजन किया जाता है तो वहाँ पर पँडाल में मानक अनुसार एक्जिट एवं एन्ट्री तथा इमरजेंसी गेट व आग से संभावित दुर्घटना के सुरक्षा मानकों का पालन किया जाये।

पुलिस उपायुक्त जोन–2 क्षेत्रांतर्गत थाना क्रमशः गोविंदपुरा,अवधपुरी,पिपलानी, एमपीनगर,अरेराहिल्स,अयोध्यानगर,मिसरोद,बागसेवनिया,कटाराहिल्स के क्षेत्रांतर्गत प्रस्तावित कार्यक्रमों के बारे में संबंधित थाने को व्यक्तिशः सूचना दी जाकर अनुमति लिया जाना आवश्यक होगी।

अतः मैं डॉ. संजय कुमार अग्रवाल, पुलिस उपायुक्त जोन–2 नगरीय पुलिस भोपाल म.प्र. राजपत्र (असाधरण) भोपाल 09 दिसंबर 2021 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 482 गृहमंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल एवं भारत के राजपत्र क्रमांक 2654 दिनांक 16 जुलाई 2024 में प्रकाशित विधि और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के प्रकाश मे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 15 के तहत विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की हैसियत से 163(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जोन–2 क्षेत्रांतर्गत क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ।

यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और जन–साधारण को इसकी सूचना समयाभाव के कारण देना संभव नहीं है। अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा

163(2) के अंतर्गत एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है यह आदेश आज दिनांक 20.11.24 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया।

यह आदेश दिनांक 31.12.24 के सायं 05:00 बजे से दिनांक 02.01.2025 के रात्रि 12:00 बजे तक प्रभावशील होगा।

(डॉ. संजय कुमार अग्रवाल भा.पु.से.)
पुलिस उपायुक्त, जोन-2
नगरीय पुलिस, भोपाल
विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं
उपायुक्त (जोन-2) नगरीय पुलिस भोपाल

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1- पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल।
2- जिला मजिस्ट्रेट भोपाल।
3- अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा/अपराध एवं मुख्यालय नगरीय पुलिस भोपाल।
4- आयुक्त नगर निगम भोपाल।
5- पुलिस उपायुक्त यातायात/सुरक्षा एवं आसूचना नगरीय पुलिस भोपाल।
6- सहायक पुलिस आयुक्त एमपीनगर/मिसरोद/गोविंदपुरा नगरीय पुलिस भोपाल।
7- सहायक आयुक्त आबकारी जिला भोपाल।
8- अनुविभागीय वृत्त अधिकारी गोविंदपुरा/एमपीनगर भोपाल।
9- जनसम्पर्क अधिकारी भोपाल की ओर कृपया प्रचार-प्रसार हेतु।
10- समस्त थाना प्रभारी जोन-2 नगरीय पुलिस भोपाल।
11-सार्वजनिक स्थान/होटल/लॉज/गार्डन इत्यादि के नोटिस बोर्ड पर उक्त ओदश चस्पा करने हेतु द्वारा संबंधित थाना प्रभारी जोन-2 नगरीय भोपाल।
12-प्रभारी, पी.आर.ओ. भोपाल की ओर प्रचार-प्रसार हेतु।

20.12.24

(डॉ. संजय कुमार अग्रवाल भा.पु.से.)
पुलिस उपायुक्त, जोन-2
नगरीय पुलिस, भोपाल
विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं
उपायुक्त (जोन-2) नगरीय पुलिस भोपाल